डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेडवा मुकाम सेडवा

व इजलास श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण–

1. जमाल पुत्र नजरा
2. अलीशेर पुत्र नजरा
3. जमील पुत्र नजरा
4. ठकरी पत्नी नजरा
5. हामीद पुत्र अलीम
6. जामीन पुत्र अलीम
7. इदा पुत्र अलीम
8. सभाई पत्नी अलीम फौत के का.मु. वादी संख्या 05 से 07 जातियान मुसलमान निवासीगण मांझी का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. लुकमान पुत्र शेरू फौत के कायम मुकाम
   1/1 शेरखान पुत्र लुकमान
   1/2 असरफ पुत्र लुकमान
   1/3 जमाल पुत्र लुकमान
   1/4 उमेदा पत्नी लुकमान
2. मोटा पुत्र बछल
3. हमल पुत्र बछल जातियान मुसलमान निवासीगण मांझी का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
4. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा सेड़वा
5. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई. शाखा बुरहान का तला
6. त्हसीलदार सेड़वा

सहायक कलक्टर सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री आम्बाराम पूनड़ वादीगण अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा कुन्दनपुरा, पटवार क्षेत्र सेड़वा, भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खाता संख्या नया 130 के खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि में लुकमान द्वारा किया गया बेचान विधिसंगत नहीं होने से रकबा 10–16 बीघा भूमि को वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है।

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

बसमत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 30/03/2026 को जारी की गई।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यह		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड	

वाद के खर्चे

(2)

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 189/2025
पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

उनवानः–

वादीगण–

1. जमाल पुत्र नजरा
2. अलीशेर पुत्र नजरा
3. जमील पुत्र नजरा
4. ठकरी पत्नी नजरा
5. हामीद पुत्र अलीम
6. जामीन पुत्र अलीम
7. इदा पुत्र अलीम
8. सभाई पत्नी अलीम फौत के का.मु. वादी संख्या 05 से 07 जातियान मुसलमान निवासीगण मांझी का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. लुकमान पुत्र शेरू फौत के कायम मुकाम
   1/1 शेरखान पुत्र लुकमान
   1/2 असरफ पुत्र लुकमान
   1/3 जमाल पुत्र लुकमान
   1/4 उमेदा पत्नी लुकमान
2. मोटा पुत्र बछल
3. हमल पुत्र बछल जातियान मुसलमान निवासीगण मांझी का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
4. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा सेड़वा
5. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई. शाखा बुरहान का तला
6. त्हसीलदार सेड़वा

अधिवक्तागण वादीगण के वकील– श्री आ[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 30/03/2026

वादीगण जमाल पुत्र नजरा जाति मुसलमान निवासी मांझी का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा पेश वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि '' मौजा कुंदनपुरा में मृतक तैयब का खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर का आया हुआ था, जिस पर तैयब का कब्जा काश्त चला आ रहा था। तैयब का वंश वृक्ष अलग से पेश है। तैयब के दो पुत्र मोहमद व शेरू थे तथा तैयब के जीवन काल में ही एक पुत्र शेरू फौत हो गया था। शेरू के फौत होने के बाद उसके पिता तैयब फौत हो गया था, जिस पर खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर का नामांतरकरण अकेले तैयब के जीवित पुत्र मोहमद का पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन मोहमद के साथ त्रुटिवश शेरू के पुत्र लुकमान के नाम भी संयुक्त रूप से नामांतरकरण पारित कर दिया गया, जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि में सुन्नी मुस्लिम विधि से शासित होने के कारण सुन्नी विधि के अनुसार पिता से पहले पुत्र फौत होने की स्थिति में पिता की भूमि में मात्र उसके जीवित पुत्र का ही अधिकार एवं स्वामित्व केवल जीवित पुत्र का ही होता है। पिता के जीवनकाल में जिस पुत्र का देहांत हो जाता है तो उस मृत पुत्र के पुत्र व पुत्रियों का कोई हक हिस्सा नहीं होता है तथा सुन्नीयों में लागू मुस्लिम विधि में प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। इस प्रकार लुकमान का नाम गलत नामांतरकरण पारित किया गया। खतौनी बंदोबस्त एवं जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। लुकमान के उक्त त्रुटि का लाभ उठाते हुए खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर 1/2 हिस्से अर्थात् 10–16 बीघा का बेचान दिनांक 01.08.1975 को मोटा व हमल पिसरान बछल जाति मुसलमान निवासी कुंदनपुरा तहसील चौहटन वर्तमान तहसील सेड़वा को कर दिया। जिसका ज्ञान वादी को नहीं हो पाया। अर्सा कुछ दिन पुर्व राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण मोटा बनाम नेमति(कम्प्यूटर आईडी संख्या 2025/7399) के पेशी दिनांक 17.12.2025 के नोटिस एवं बाद की नकल वादी को प्राप्त हुई तो वादी को ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर भूमि वादी के अतिरिक्त मोटा एवं अन्य व्यक्तियों प्रतिवादी संख्या 03 के नाम दर्ज है तब वादी ने तमाम राजस्व रेकर्ड एवं बेचान की नकलें प्राप्त की है तो वादी के सर्वप्रथम इस बात की जानकारी हुई कि उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत त्रुटि का नाजायज फायदा उठाकर खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से का बेचान लुकमान ने प्रतिवादी संख्या 02 मोटा एवं प्रतिवादी संख्या 03 हमल को कर दिया है, जबकि लुकमान का उक्त भूमि में कोई भी हिस्सा नहीं बनता

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:23 IST
Reason: SelfAttested

है, बल्कि वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर में तैयब के फौत होने पर सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पूर्व पुरूष मोहमद का बनता है। इस प्रकार लुकमान द्वारा किए गए बेचान प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी होने से वादीगण उपर्युक्त बेचान को अपने अधिकारों के विरूद्ध शून्य घोषित करवाकर 10–16 बीघा भूमि अपने नाम घोषित करवाने का अधिकारी है, इस हेतु घोषणा का वाद पेश है। लुकमान पुत्र शेरू फौत हो गया है इसलिए उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर भूमि पर अकेले वादीगण का कब्जा चला आ रहा है, प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का कोई कब्जा नहीं है, लेकिन प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल कर वादग्रस्त भूमि का अंयत्र बेचान करना चाहते है। इस कारण वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश है। वाद कारण तैयब के जीवनकाल में उनके पुत्र शेरू फौत होने पर वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर में वादी के पूर्व पुरूष मोहमद के साथ में लुकमान का गलत नामांतरकरण पारित किया गया, तत्पश्चात लुकमान द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान वाद में वर्णितानुसार भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल कर वादग्रस्त भूमि को बेचान की धमकियां दी गई। अतः वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें– 1. मौजा कुंदनपुरा तहसील सेड़वा में स्थित खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर भूमि में लुकमान द्वार किए गए बेचान को शून्य घोषित कर 10–16 बीघा भूमि वादी के नाम घोषित कर तमाम राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। 2. वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरूद्ध अस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वह वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें और न ही वादग्रस्त भूमि का बेचान या हंस्तांतरण करें।''

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वादीगण वकील ने वादी साक्ष्यों में PW-1 में जमाल पुत्र नजरा जाति मुसलमान निवासी मांझी का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर, PW-2 में अलीशेर पुत्र नजरा जाति मुसलमान निवासी मांझी का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर, PW-3में मोहम्मद सिदिक पुत्र मिश्री जाति मुसलमान निवासी मांझी का तला तहसील सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

जिला बाड़मेर का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारालिखित दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ई.एक्स.पी.01(प्रदर्श 01) जमाबंदी(खेवट/खतौनी)(प्रतिलिपि) अंतिम चौसला आधार संवत 2076–2079 जमाबंदी 2078(वर्ष 2022) से स्थायी मौजा कुन्दनपुरा, पटवार क्षेत्र सेड़वा,भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खाता संख्या नया 130 के खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम,प्रदर्श ई.एक्स.पी.02(प्रदर्श 02) तैयब का फौतगी नामान्तरकरण मौजा कुन्दनपुरा, पटवार क्षेत्र सेड़वा,भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 385, प्रदर्श ई.एक्स.पी.03(प्रदर्श 03) मौजा कुन्दनपुरा, पटवार क्षेत्र सेड़वा, भू.अ. नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 385 में दिनांक 20.08.1999 को पारित नामांतरकरण, व प्रदर्श ई.एक्स.पी.04(प्रदर्श 04) मुस्लिम उत्तराधिकार विधि की नजीरें की प्रतिलिपियां बतौर दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रदर्शित (Exhibit)करवाए।

PW-1 जमाल पुत्र नजरा जाति मुसलमान निवासी मांझी का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर ने शपथ पत्र में कथन किया कि मौजा कुंदनपुरा में मृतक तैयब का खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर का आया हुआ था, जिस पर तैयब का कब्जा काश्त चला आ रहा था। तैयब के दो पुत्र मोहमद व शेरू थे तथा तैयब के जीवन काल में ही एक पुत्र शेरू फौत हो गया था। शेरू के फौत होने के बाद उसके पिता तैयब फौत हो गया था, जिस पर खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर का नामांतरकरण अकेले तैयब के जीवित पुत्र मोहमद का पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन मोहमद के साथ त्रुटिवश शेरू के पुत्र लुकमान के नाम भी संयुक्त रूप से नामांतरकरण पारित कर दिया गया, जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि में सुन्नी मुस्लिम विधि से शासित होने के कारण सुन्नी विधि के अनुसार पिता से पहले पुत्र फौत होने की स्थिति में पिता की भूमि में मात्र उसके जीवित पुत्र का ही अधिकार एवं स्वामित्व केवल जीवित पुत्र का ही होता है, पिता के जीवनकाल में जिस पुत्र का देहांत हो जाता है उस मृत पुत्र के पुत्र व पुत्रियों का कोई हक हिस्सा नहीं होता है तथा सुन्नी [illegible] विधि में प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू नहीं होती है। इस प्रकार लुकमान का नाम गलत नामांतरकरण पारित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

लुकमान के उक्त त्रुटि का लाभ उठाते हुए खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर 1/2 हिस्से अर्थात् 10–16 बीघा का बेचान दिनांक 01.08.1975 को मोटा व हमल पिसरान बछल जाति मुसलमान निवासी कुंदनपुरा तहसील चौहटन वर्तमान तहसील सेड़वा को कर दिया। जिसका ज्ञान वादी को नहीं हो पाया। अर्सा कुछ दिन पूर्व राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण मोटा बनाम नेमती(कम्प्यूटर आईडी संख्या 2025/7399) के पेशी दिनांक 17.12.2025 के नोटिस एवं वाद की नकल वादी को प्राप्त हुई तो वादी को ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर भूमि वादी के अतिरिक्त मोटा एवं अन्य व्यक्तियों प्रतिवादी संख्या 03 के नाम दर्ज है तब वादी ने तमाम राजस्व रेकर्ड एवं बेचान की नकलें प्राप्त की है तो वादी के सर्वप्रथम इस बात की जानकारी हुई कि उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत त्रुटि का नाजायज फायदा उठाकर खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से का बेचान लुकमान ने प्रतिवादी संख्या 02 मोटा एवं प्रतिवादी संख्या 03 हमल को कर दिया है, जबकि लुकमान का वादग्रस्त भूमि में कोई भी हिस्सा नहीं बनता है, बल्कि वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर में तैयब के फौत होने पर सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पूर्व पुरूष मोहमद का बनता है। इस प्रकार लुकमान द्वारा किए गए बेचान प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी होने से वादीगण उपर्युक्त बेचान को अपने अधिकारों के विरूद्ध शून्य घोषित करवाकर 10–16 बीघा भूमि अपने नाम घोषित करवाने का अधिकारी है।

PW-2 में अलीशेर पुत्र नजरा जाति मुसलमान निवासी मांझी का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर ने शपथ पत्र में कथन किया किमौजा कुंदनपुरा में मृतक तैयब का खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर का आया हुआ था, जिस पर तैयब का कब्जा काश्त चला आ रहा था। तैयब के दो पुत्र मोहमद व शेरू थे तथा तैयब के जीवन काल में ही एक पुत्र शेरू फौत हो गया था। शेरू के फौत होने के बाद उसके पिता तैयब फौत हो गया था, जिस पर खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर का नामांतरकरण अकेले तैयब के जीवित पुत्र मोहमद का पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन मोहमद के साथ त्रुटिवश शेरू के पुत्र लुकमान के नाम भी संयुक्त रूप से नामांतरण पारित कर दिया गया, जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि से शासित होने के कारण सुन्नी विधि के अनुसार पिता से पहले पुत्र की मृत्यु होने की दशा में पिता की भूमि में मात्र उसके जीवित पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

का ही अधिकार एवं स्वामित्व केवल जीवित पुत्र का ही होता है, पिता के जीवनकाल में जिस पुत्र का देहांत हो जाता है तो उस मृत पुत्र के पुत्र व पुत्रियों का कोई हक हिस्सा नहीं होता है तथा सुन्नीयों में लागू मुस्लिम विधि में प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। इस प्रकार लुकमान का नाम गलत नामांतरकरण पारित किया गया। लुकमान के उक्त त्रुटि का लाभ उठाते हुए खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर 1/2 हिस्से अर्थात् 10–16 बीघा का बेचान दिनांक 01.08.1975 को मोटा व हमल पिसरान बछल जाति मुसलमान निवासी कुंदनपुरा तहसील चौहटन वर्तमान तहसील सेड़वा को कर दिया। जिसका ज्ञान वादी को नहीं हो पाया। अर्सा कुछ दिन पूर्व राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण मोटा बनाम नेमति(कम्प्यूटर आईडी संख्या 2025/7399) के पेशी दिनांक 17.12.2025 के नोटिस एवं वाद की नकल वादी को प्राप्त हुई तो वादी को ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर भूमि वादी के अतिरिक्त मोटा एवं अन्य व्यक्तियों प्रतिवादी संख्या 03 के नाम दर्ज है तब वादी ने तमाम राजस्व रेकर्ड एवं बेचान की नकलें प्राप्त की है तो वादी के सर्वप्रथम इस बात की जानकारी हुई कि उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत त्रुटि का नाजायज फायदा उठाकर खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से का बेचान लुकमान ने प्रतिवादी संख्या 02 मोटा एवं प्रतिवादी संख्या 03 हमल को कर दिया है, जबकि लुकमान का वादग्रस्त भूमि में कोई भी हिस्सा नहीं बनता है, बल्कि वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर में तैयब के फौत होने पर सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पूर्व पुरूष मोहमद का बनता है। इस प्रकार लुकमान द्वारा किए गए बेचान प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी होने से वादीगण उपर्युक्त बेचान को अपने अधिकारों के विरूद्ध शून्य घोषित करवाकर 10–16 बीघा भूमि अपने नाम घोषित करवाने का अधिकारी है।

PW-3 में मोहम्मद सिदिक पुत्र मिश्री जाति मुसलमान निवासी मांझी का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर ने शपथ पत्र में कथन किया कि वादीगण जमाल वगैरा की खातेदारी का खेत मौजा कुंदनपुरा में खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर के आए हुए है। मैं वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जान पहचान का हूं, तथा वादी के यहां घर आते जाते रहता हूं, जिससे मैं वादीगण व प्रतिवादीगण को अच्छी तरह से जानता हूं। वादग्रस्त आराजी जब वादीगण के दादा के नाम से दर्ज हुई है तब से लेकर आज तक वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा लम्बे समय से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा इससे पूर्व वक्त सेटलमेंट से उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के दादा तैयब का कब्जा काश्त है। इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण अपना सम्पूर्ण हिस्से को घोषित करवाने के अधिकारी है।

वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों, बयानात पर वादीगण के अधिवक्ता ने बहस की। वादीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से चिन्तन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण उपरांत, उक्त तथ्यों के आलोक में वादीगण का वाद संख्या 189/2025 उनवान जमाल वगैरा बनाम लुकमान के कायम मुकाम शेरखान वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः खेत मौजा कुन्दनपुरा, पटवार क्षेत्र सेड़वा, भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खाता संख्या नया 130 के खसरा संख्या 385 रकबा 3–5046 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि में लुकमान द्वारा किया गया बेचान विधिसंगत नहीं होने से रकबा 10–16 बीघा भूमि को वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है।

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक ..... 30/03/2026 को खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:23 IST
Reason: SelfAttested